Postal Reg. No. : XXXXXXXXX

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

वर्ष 1

साप्ताहिक क़ादियान

# बदर

The Weekly BADAR Qadian HINDI

अंक 18

मूल्य 300 रुपए वार्षिक

संपादक शेख़ मुजाहिद अहमद

7 जुलाई 2016 ई

1 शव्वाल 1437 हिजरी कमरी

## अख़बार-ए-अहमदिया

रूहानी ख़लीफ़ा इमाम जमाअत अहमदिया हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाह तआला बेनस्रेहिल अज़ीज सकुशल हैं। अलहम्दोलिल्लाह। अल्लाह तआला हुज़ूर को सेहत तथा सलामती से रखे तथा प्रत्येक क्षण अपना फ़जल नाज़िल करे। आमीन

**ख़ुदा तआला ने आयत هُدًى لِّلۡمُتَّقِيۡنَ में यह वादा फरमाया है कि अगर इस की किताब और रसूल पर कोई ईमान लाएगा तो वह और अधिक हिदायत का अधिकारी होगा और ख़ुदा उसकी आंख खोलेगा और अपने वार्तालापों और बातों से लाभांवित करेगा। और बड़े बड़े चिन्ह उसे दिखाएगा। यहाँ तक कि वे इसी दुनिया में उसे देख लेगा कि उसका ख़ुदा मौजूद है और पूरी तसल्ली पाएगा।**

## उपदेश हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम

هُدًى لِّلۡمُتَّقِيۡنَ फरमाने से ख़ुदा तआला की यह इच्छा है कि जो कुछ मनुष्य को हर तरह के उपकार जैसे उसकी जान और स्वास्थ्य और ज्ञान और शक्ति और माल आदि में से दिया गया है उसके विषय में मनुष्य अपने प्रयास से केवल مِمَّا رَزَقۡنٰهُمۡ يُنۡفِقُوۡنَ तक अपनी श्रद्धा प्रकट कर सकता है और इससे बढ़कर इंसानी शक्तियां शक्ति नहीं रखतीं। लेकिन ख़ुदा तआला पवित्र कुरआन शरीफ पर ईमान लाने वाले के लिए अगर वह مِمَّا رَزَقۡنٰهُمۡ يُنۡفِقُوۡنَ की हद तक अपनी सच्चाई प्रकट करेगा तो आयत هُدًى لِّلۡمُتَّقِيۡنَ के अनुसार यह वादा है कि ख़ुदा तआला इस प्रकार की इबादत में भी कमाल तक उस को पहुंचा देगा और पूर्णता यह है कि उस को "ईसार की शक्ति" दी * जाएगी। कि वह हृदय की गहराई से यह समझ लेगा कि जो कुछ उसका है ख़ुदा का है और कभी किसी को महसूस नहीं कराऐगा कि ये चीज़ें उसकी थीं जिसके द्वारा उसने मनुष्य जाति की सेवा की। जैसे उपकार के माध्यम से कभी इंसान किसी को महसूस कराता है कि उस ने अपना माल दूसरे को दिया मगर यह त्रुटिपूर्ण स्थिति है क्योंकि वह तभी महसूस करेगा कि जब इस बात को अपनी बात समझेगा। अत: जब आयत هُدًى لِّلۡمُتَّقِيۡنَ के अनुसार के ख़ुदा तआला कुरआन शरीफ पर ईमान लाने वाले को उस स्थान से तरक्की प्रदान करेगा कि वह भी अपनी सभी चीजों को ख़ुदा की चीज़ें समझ लेगा कि महसूस कराने का रोग भी उस के दिल से जाता रहेगा और मनुष्य जाति के लिए एक माधुर्य सहानुभूति उसके दिल में पैदा हो जाएगी बल्कि इससे भी बढ़कर। और कोई चीज़ उसकी अपनी नहीं रहेगी बल्कि सब ख़ुदा की हो जाएगी और यह तब होगा जब वह सच्चे दिल से कुरआन शरीफ और नबी पर ईमान लाएगा । बिना इस के नहीं। तो कितने गुमराह हैं वे लोग, जो बिना कुरआन शरीफ और रसूले करीम के अनुकरण के केवल खुश्क तौहीद को मुक्ति का कारण ठहराते हैं बल्कि देखना साबित कर रहा है कि ऐसे लोग न ख़ुदा पर सच्चा ईमान रखते हैं न दुनिया के लालचों और इच्छाओं से मुक्त हो सकते हैं यहां तक कि वे किसी पूर्णता तक तरक्की करें और यह बात भी पूरी तरह ग़लत और निरा विचार है कि मनुष्य स्वत: तौहीद की नेअमत प्राप्त कर सकता है बल्कि तौहीद ख़ुदा की वाणी के माध्यम से मिलती है और अपनी ओर से जो कुछ समझता है वह शिर्क से खाली नहीं। इसी तरह ख़ुदा तआला की किताबों पर ईमान लाने के बारे में मानव प्रयास केवल इस हद तक है कि इंसान तक्वा धारण कर के उस की पुस्तक पर ईमान लाए और धीरज से उसका पालन करेंगे और इस से अधिक व्यक्ति में शक्ति नहीं है लेकिन ख़ुदा तआला ने आयत هُدًى لِّلۡمُتَّقِيۡنَ में यह वादा फरमाया है कि अगर इस की किताब और रसूल पर कोई ईमान लाएगा तो वह और अधिक हिदायत का अधिकारी होगा और ख़ुदा उसकी आंख खोलेगा और अपने वार्तालापों और बातों से लाभांवित करेगा।* और बड़े बड़े चिन्ह उसे दिखाएगा। यहाँ तक कि वे इसी दुनिया में उसे देख लेगा कि उसका ख़ुदा मौजूद है और पूरी तसल्ली पाएगा। ख़ुदा की वाणी कहती है कि यदि तू मेरे पर पूर्ण ईमान लाए तो मैं तेरे पर भी अवतरित होंगी। इसी आधार पर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ि अल्लाह कहते हैं कि मैं इस ईमानदारी और प्यार और शौक ख़ुदा की वाणी को पढ़ा कि वह इल्हामी रंग में मेरी ज़बान पर भी जारी हो गया। लेकिन अफसोस कि लोग इस बात को नहीं समझते कि अल्लाह तआला का कलाम करना किया चीज़ है। किस हालत में कहा जाएगा कि ख़ुदा किसी व्यक्ति से संवाद करता है बल्कि अक्सर मूर्ख लोग शैतानी इल्का को भी ख़ुदा की वाणी समझने लगते हैं और उन्हें शैतानी और रहमानी इल्हाम में भेद नहीं। तो याद रहे कि रहमानी इल्हाम और वह्यी के लिए पहली शर्त यह है कि मनुष्य केवल ख़ुदा का हो जाए और शैतान का कोई हिस्सा उस में न रहे क्योंकि जहाँ मुर्दा है ज़रूर है कि कुत्ते भी जमा हो जाएं। इसलिए अल्लाह तआला फरमाता है।

هَلۡ اُنَبِّئُكُمۡ عَلٰى مَنۡ تَنَزَّلُ الشَّيٰطِيۡنُ تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيۡمٍ

परन्तु जिसमें शैतान का हिस्सा नहीं रहा और वे तामसिक जीवन से ऐसा दूर हुआ कि मानो मर गया और नेक और वफादार बन्दा बन गया और ख़ुदा की तरफ आ गया उस पर शैतान हमला नहीं कर सकता। जैसा कि अल्लाह तआला फरमाता है।

اِنَّ عِبَادِىۡ لَيۡسَ لَكَ عَلَيۡهِمۡ سُلۡطٰنٌ

जो शैतान के हैं और शैतान की आदतें अपने अंदर रखते हैं उन्हें की ओर शैतान दौड़ता है क्योंकि वह शैतान के शिकार हैं। دَخَلۡتُ النَّارَ حَتّٰى صِرۡتُ نَارًا

* इस का कारण यह है कि मानवीय कमज़ोरी के कारण मनुष्य की प्रकृति में एक कंजूसी भी है कि अगर एक पहाड़ सोने का भी उस के पास हो तब भी एक हिस्सा कंजूसी का उसके अंदर होता है और नहीं चाहता कि अपना सब माल अपने हाथ छोड़ दे लेकिन जब आयत هُدًى لِّلۡمُتَّقِيۡنَ के अनुसार एक वहबी (दी गई) शक्ति उसके साथ हो जाती है तो फिर ऐसा हृदय खुल जाता है कि सारी कंजूसी और सारे नफ्स की कंजूसी स्वयं दूर हो जाती है तब खुदा तआला की प्रसन्नता प्रत्येक माल से अधिक प्यारी हो जाती है और वह नहीं चाहता कि ज़मीन पर नश्वर ख़ज़ाने इकट्ठा करे बल्कि आसमान पर अपना माल इकट्ठा करता है। इसी में से।

* वास्तव में पूर्ण आज्ञापलन यही है कि वही रंग पकड़ ले और वही नूर दिल पर छा जाएं। دَخَلۡتُ النَّارَ حَتّٰى صِرۡتُ نَارًا इसी में से।

(हकीकतुल वह्यी, रूहानी खज़ायन,भाग 22, पृष्ठ 140 -142)

☆ ☆ ☆

जमील अहमद नासिर प्रिंटर एवं पब्लिशर ने फ़ज़्ल-ए-उमर प्रिंटिंग प्रेस क़ादियान में छपवा कर दफ़्तर अख़बार बदर से प्रकाशित किया। प्रौपराइटर - निगरान बदर बोर्ड क़ादियान

# वाकफ़ात नौ की विशेष क्लास

## हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्त्रहिल अज़ीज़ की वाकफ़ात नौ के साथ विशेष क्लास

मई 2015 ई दिन रविवार, स्थान जर्मनी

(सय्यदना हज़रत मिर्ज़ा मस्रूर अहमद साहिब ख़लीफतुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्त्रेहिल अज़ीज़ अपने दौरों में वक्फ नौ तथा वाकफ़ात नौ बच्चों के साथ विशेष क्लास का आयोजन करते हैं, जिस में बच्चे तथा बच्चियां अपने प्रश्न पूछती हैं जर्मनी में आयोजित एक क्लास, जो साप्ताहिक उर्दू बद्र 16 जूलाई 2015 ई में प्रकाशित हुई है , के कुछ प्रश्न नीचे प्रस्तुत हैं। सम्पादक )

***एक वक्फ नौ बच्ची ने कहा कि मेरा दूसरा सवाल यह है कि आप बता सकते हैं कि आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम्म के जीवन में नौ बीवियां थीं या दस। क्योंकि यह मुझे सही नहीं पता।**

इस पर हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह तआलाबिनस्त्रहिल अज़ीज़ ने कहा कि आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम्म की नौ बीवियां थीं और ज़िन्दगी में एक समय में मेरा मानना है एक समय में सात थीं या नौ थीं लेकिन यह इजाज़त केवल आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम्म के लिए थी क्योंकि आप इस समय सही तरह हक़ अदा कर सकते थे। बाकी मुसलमानों के लिए अधिकतम चार हैं और वह भी कुछ स्थितियों में हैं कि अगर शर्तें पूरी हो सकती हैं, सभी condition पूरी हो सकती हैं और ज़रूरत भी मौजूद हो, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन से शादी करना आवश्यक हो जाता है, इसलिए एक से अधिक की अनुमति है, other wise हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि अगर पुरुषों को पता हो कि शादी करके महिला अर्थात् अपनी बीवी का हक़ अदा करना कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है और इस ज़िम्मेदारी को अदा ना करने का कितना बड़ा गुनाह है और फिर कितनी अल्लाह तआला सज़ा देगा, तो मर्द शायद एक शादी भी न करें। महिलाओं के तो बड़े अधिकार हैं। इस अधिकार को अदा करना चाहिए।

***एक वक्फ नौ बच्ची ने सवाल किया कि आप टोपी पहनते हैं, तो इसका मतलब क्या है?**

इस पर हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्त्रहिल अज़ीज़ ने कहा कि टोपी मतलब पगड़ी है। यह परंपरा है, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पहना करते थे, ख़लीफ़ा पहनते हैं, इसलिए रिवायत चल रही है, इसकी कोई significance ऐसी नहीं है कि शरीयत का हुक्म है, आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम्म और तरह पहना करते थे, विभिन्न समय में विभिन्न थी। अरबों में वैसे भी इतना रिवाज नहीं, हज़रत उमर एक छोटी सी टोपी पहना करते थे। एक घटना आती है कि एक राजा था, शायद वह रूम का था, उसके सिर में बड़ा दर्द होता था। तो उसे सपना आया कि जो इस्लाम के ख़लीफा हैं उसकी टोपी तुम मंगा कर सिर पर पहनो तो तुम्हारे सिर दर्द हट जाएगा या किसी ने उसे यह बताया था। तो उसने हज़रत उमर को लिखा कि मुझे अपनी टोपी भेजें मेरे सिर में दर्द होता है। तो हज़रत उमर ने अपनी एक पुरानी टोपी जो कि एक छोटी सी टोपी थी। जैसा तुम ने अपने सिर के ऊपर खुला बांधा हुआ है, अपने हिजाब के ऊपर इस तरह की टोपी। वह जो हाजी भी पहनते हैं। आम लोग पहनते हैं। मैं भी घर में जब नमाज़ पढ़नी हो तो छोटी सी टोपी पहनता हूँ। तो वह टोपी जो गंदी मैली टोपी थी, सिर पर तेल लग लग कर, तेल से बिल्कुल oily हुई थी। पुरानी टोपी भेज दी। राजा को बड़ा गुस्सा चढ़ा कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ, मुझे यह गंदी सी टोपी भेज दी है, मैं नहीं पहुनूंगा, यह इतना गंभीर सिरदर्द हुआ कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने कहा ठीक है देख लेते हैं उस ने टोपी पहनी तो सिर दर्द हट गई तो उसने उतार दी, कि नहीं मैं नहीं अब पहनूंगा। सिर दर्द तो ठीक हो गया है। कुछ समय के बाद इसे फिर से सिर दर्द हुआ तो उसे फिर मजबूर हो कर पहननी पड़ी। तो इस तरह इसका सिर दर्द हटता था। यह टोपी की बरकत थी। बहरहाल कहने का मतलब यह है कि किसी विशेष प्रकार की टोपी का महत्त्व नहीं है। असल बात यह है कि अगर अल्लाह तआला के लिए इबादत करने के लिए जाना है या वैसे ही out of respect तुम्हें इबादत के लिए तो पहननी ही पहननी लेकिन वैसे भी एक अच्छा कपड़ा है। हमारा रिवाज भी है इसलिए पहनी जाती है।

***एक वक्फ नौ बच्ची ने सवाल किया: हिदायत देने का फैसला अल्लाह तआला करता है कि किस व्यक्ति को देनी है और जिन लोगों को हिदायत नहीं मिलती, तो क्या वह गुनाहगार हैं।**

इस पर हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह तआला बेनस्त्रहिल अज़ीज़ ने फरमाया कि सवाल यह है कि अल्लाह तआला यह फरमाता है कि मुझे पता है कि कैसे हिदायत देनी है, अल्लाह तआला को इंसान के अंजाम का पता है। अल्लाह यह कहता है कि तुम्हारा काम संदेश पहुंचाना है। तुम अपना कर्त्तव्य पूरा करो। आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम्म को भी यह कहा आप (स.अ.व.) का काम तब्लीग़ करना है, आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम्म को फरमाया है आप तब्लीग़ करें, तो हिदायत कौन पाता है कौन नहीं पाता, यह मुझे पता है कि किस ने हिदायत पानी है। इसलिए आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम्म ने अपने ज़माने में मक्का के सारे लोगों को तब्लीग़ सब की हिदायत के लिए दुआ भी की होगी। बल्कि आप (स.अ.व.) ने दो आदमियों के लिए दुआ की कि अगर यह दो मुझे मिल जाएं तो मेरे पास एक ताकत आ जाएगी। तो उनमें से एक अबुल हकम था जिसे बाद में अबू जहल कहते हैं और एक हज़रत उमर थे। अल्लाह तआला को यह पता था हज़रत उमर ने हिदायत पानी है, इसलिए उनकी एक घटना हो गई और कुरान शरीफ की एक आयत ने उनके हिदायत का सामान किया। और अबुल हकम था वह जहल हो के, अबू जहल होकर मर गया। उसे हिदायत नहीं मिली। इसलिए हमें नहीं पता कि किस ने हिदायत पानी है। लेकिन हमारा यह काम है कि हर एक को पैग़ाम पहुँचाएँ और अगर कोई हिदायत नहीं पाता, तो वे अपने कर्मों की वजह से नहीं पाता। इसलिए जब अल्लाह उन से यह पूछे कि जब हिदायत तुम्हें मिल गई, तो तुम ने क्यों नहीं माना। अल्लाह तआला को यह ज्ञान तो है कि उस ने नहीं मानना था लेकिन अल्लाह तआला ने यह नहीं फरमाया कि तुम ने नहीं मानना, कुछ लोग मान जाते हैं और कुछ तो मुर्तद हो जाते हैं। इसलिए जो जुर्म करते हैं उसकी सज़ा तो अल्लाह तआला उसे देगा। क्या देता है और कैसे देता है, यह अल्लाह बेहतर जानता है।

***एक वक्फ नौ बच्ची ने पूछा: मेरा सवाल है कि हम वक्फ नौ जमाअत की उन्नति के लिए क्या कर सकते हैं ?**

इस पर हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह बेनस्त्रहिल अज़ीज़ ने फरमाया, सबसे अच्छा यह कर सकते हैं कि शिक्षा प्राप्त करें और शिक्षा के साथ साथ अपनी नमाज़ों और दुआओं की ओर ध्यान दें। अल्लाह तआला से संबंध पैदा करें। इसके साथ कुरआन पढ़ें। 13, 14 या 15 साल की तो हो गई हैं। कुरआन पढ़ें और इसे समझें। उस पर अमल करने की कोशिश करें। जमाअत का धार्मिक ज्ञान प्राप्त करें, ख़ुद भी धारण करें और आगे भी बताएं और फिर इंशा अल्लाह जब शादी हो जाएगी तो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें। इसके अलावा अपने परिवेश में लज्ना की लड़कियों की अच्छी तरबियत करें। तो अगर कुछ बन जाओगी डाक्टर बन जाओगी, तो डॉक्टर बन कर सेवा करो या इनजीनयर बन जाओगी या कुछ हद तक architect वरना teacher या translator बन जाओ तो अधिक अच्छी बात होगी। तो इन फ़ील्ड्स में सेवा करोगी।

***एक बच्ची ने सवाल किया कुछ लोग धार्मिक नहीं होते उन्हें जब यह कहा जाता है कि अल्लाह तआला ने सब कुछ बनाया है तो वह आगे से सवाल करते हैं कि अल्लाह को (नाऊज़ बिल्लाह) किस ने बनाया है?**

इस पर हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह तआला बेनस्त्रहिल अज़ीज़ ने फरमाया कि सवाल यह है कि जो अल्लाह को ही नहीं मानता तुम इसे अगर यह कहोगी कि अल्लाह है, अल्लाह तआला ने मज़हब को भेजा और यह सब कुछ किया है तो वह कहेगा कि अल्लाह तआला को मैं मानता ही नहीं मुझे धर्म से क्या। तो चाहिए कि आप इसे पहले यह मनवाओ कि ख़ुदा है। वे यह मानते हैं कि कोई ताक़त है जो सारी दुनिया की प्रणाली को चला रही है। यह मानते हैं कि एक नेचर के माध्यम से चल रहा है।

फिर सवाल यह है कि जो ताक़त सारी दुनिया की प्रणाली को चला रही है, इस ताक़त को किस ने बनाया ? वे कहेंगे इस ताक़त के ऊपर कोई ताक़त नहीं है। जिस ताक़त पर भी ले आती हो, अंत एक सीमा पर पहुँचने के लिए, उन्हें कोई न कोई तो बात माननी पड़ेगी कि कोई ताक़त है फिर जो ताक़त उनके पास अंतिम ताक़त है वही परमेश्वर है। अल्लाह तआला को बनाने की आवश्यकता नहीं फिर बनाने लगे तो किस किस चीज़ ने बनाया। अत: सवाल यह है कि जो उनके समीप एक ताक़त है उसे किस ने बनाया। अपने आप बन गई ? अगर वह स्वत: बन गई तो भगवान भी स्वत: बन गया। तुम वह किताब हमारा ख़ुदा पढ़ो, बच्चों के लिए भी समझ में आने वाली अच्छी आसान किताब है। पता नहीं इसका जर्मन में अनुवाद हुआ है कि नहीं। इंग्लिश में अनुवाद Our God के नाम पर हो गया है, यह किताब पढ़ो। और इसे पढ़ कर फिर बताया करो कि ख़ुदा है और किस ने बनाया और किस तरह बना। ख़ुद पढ़ा भी करो वक्फ नौ बन गई हो तो कुछ अपना भी ज्ञान प्राप्त करो।

***एक परिचित नौ बच्ची ने सवाल किया कि क्या एक अहमदी लड़की एक ग़ैर अहमदी लड़के से शादी करने की अनुमति है?**

इस पर हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह तआला बेनस्त्रहिल अज़ीज़ ने फरमाया : नहीं ! इसलिए कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस विषय में मना कर दिया कि जो अहमदी नहीं है इस से अहमदी लड़की शादी करे तो इसी परिवेश में चली जाएगी और इसकी वजह से अहमदियत और अगली नस्ल भी ख़राब हो जाएगी। इसके लिए बेहतर यही है बल्कि यही सही है क्योंकि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ऐसा कहा है और मैं भी कानून को बदल नहीं सकता कि अहमदी लड़की ग़ैर अहमदी लड़के से शादी करे। इसलिए अहमदी लड़की अहमदी लड़के से शादी करे।

**शेष पृष्ठ 8 पर**

# ख़ुत्बः जुमअः

**इंशा अल्लाह तआला तीन चार दिन तक रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है। इन दिनों में रोज़े लंबे दिन होने के कारण से गर्म देशों में बड़े सख्त भी होते हैं लेकिन इसके बावजूद हर स्वस्थ वयस्क पर यह फर्ज़ हैं। हां कुछ स्थितियों में रोज़े रखने की सुविधा भी दी गई है।**

**इस ज़माने में अल्लाह तआला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को भेजा है और हकम और अदल (न्याय) बनाकर भेजा है जिन्होंने इस्लाम की शिक्षा पर आधारित रखते हुए हर मामले का फैसला करना था और हर समस्या का हल बताना था और बताया। इसलिए इस मामले में उस समय हमें अपनी समस्याओं का समाधान और ज्ञान में वृद्धि के लिए आप अलैहिस्सलाम को देखने की ज़रूरत है। हमें याद रखना चाहिए कि इस ज़माने में शरीयत के आदेश के बारे में आप अलैहिस्सलाम का आदेश या सिद्धांत ही हमारे लिए इस मामला का फ़िक़्ही समाधान और निर्णय है।**

## कुरआन मजीद तथा हदीस और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के उपदेशों की रोशनी में पवित्र रमज़ान के आरम्भ, सहरी तथा इफतारी मुसाफिर और रोगी के रोज़ा, फिदया रमज़ान, रोज़ा रखने की आयु,नमाज़ तहज्जुद तथा तरावीह के मस्लों का वर्णन।

**ख़ुत्बः जुमअः सय्यदना अमीरुल मो'मिनीन हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद ख़लीफ़तुल मसीह पंचम अय्यदहुल्लाहो तआला बिनस्त्रिहिल अज़ीज़,**
**दिनांक 3 जून 2016 ई. स्थान - मस्जिद बैतुलफ़ुतूह, मोर्डन, यू.के.**

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ۔ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۔اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۔ غَيْرِالْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّآلِّيْنَ ۔

इंशा अल्लाह तआला तीन चार दिन तक रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है। इन दिनों में रोज़े लंबे दिन होने के कारण से गर्म देशों में बड़े सख्त भी होते हैं लेकिन इसके बावजूद हर स्वस्थ वयस्क पर यह फर्ज़ हैं। हां कुछ स्थितियों में रोज़े रखने की सुविधा भी दी गई है। कुछ देशों में इन गर्म देशों में भी कुछ मज़दूरों को या कुछ और शर्तें हैं कि अगर ऐसे हालात हों कि रोज़े न रख सकें तो सुविधा है। इसी तरह कुछ देशों में आजकल बाईस तेईस घंटे का दिन है और केवल डेढ़ दो घंटे की रात वह भी रात नहीं बल्कि प्रकाश ही रहता है या झुटपुटे का समय रहता है इसलिए वहाँ की जमाअतों को बता दिया गया है कि समय के अनुमान के अनुसार अपनी सेहरी और इफ्तारी के समय निर्धारित कर लें जो आजकल प्राय जगह निकटवर्ती देशों के समय पर आधारित करके या उनके समय का अनुमान रखते हुए लगभग अठारह उन्नीस घंटे का रोज़ा होगा। इन देशों में अगर ऐसा नहीं किया तो सेहरी और इफ्तारी का समय ही नहीं होगा। न तहज्जुद पढ़ी जा सकेगी न ही इशा और फजर की नमाज़ों के समय निर्धारित हो सकेंगे। बहरहाल इन क्षेत्रों में जो जमाअतें हैं वे उस पर अनुकरण करती हैं, कैसे उन्होंने समायोजित करना है।

रोज़े इस्लाम के बुनियादी आधारों में से हैं और उन्हें पूरा करना भी आवश्यक है। रोज़े के बारे में कुछ छोटे सवाल भी उठते हैं। सेहरी के समय के बारे में इफ्तार से संबंधित, बीमारी के बारे में, मुसाफिर से संबंधित इस तरह अलग प्रश्न होते हैं। जमाअत में अल्लाह तआला की कृपा है कि हर साल मुसलमानों के विभिन्न समुदायों में से भी और ग़ैर धर्मों में से भी लाखों लोग शामिल होते हैं। मुसलमानों के विभिन्न समुदायों में भी कुछ आदेशों के बारे में विभिन्न फ़िक़्ही सिद्धांत हैं। इन विचारों के साथ जब वे जमाअत में आते हैं तो कुछ बातें उनमें बेचैनियां पैदा कर देती हैं कुछ निर्देश वे चाहते हैं, कुछ जानकारी चाहते हैं या कुछ सवाल उठाते हैं। इसी तरह कुछ ग़ैर धर्मों से आने वाले बिल्कुल ही कुछ बातों का ज्ञान नहीं रखते बल्कि उन्हें ज्ञान होता ही नहीं वे तो नए रूप से सीख रहे होते हैं। इसलिए उनके लिए इस्लाम के जो बुनियादी आधार हैं उनके मामलों की जानकारी होनी आवश्यक है।

इस ज़माने में अल्लाह तआला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को भेजा है और हकम और अदल (न्यायकर्ता) बनाकर भेजा है जिन्होंने इस्लाम की शिक्षा पर आधारित रखते हुए हर मामले का फैसला करना था और हर समस्या का हल बताना था और बताया। इसलिए इस मामले में इस ज़माना में हमें अपनी समस्याओं का समाधान और ज्ञान में वृद्धि के लिए आप अलैहिस्सलाम को देखने की ज़रूरत है।

इस समय रोज़े के बारे में जैसा कि मैंने कहा सवाल उठते रहते हैं कुछ सवालों के जवाब या हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का उनके बारे में क्या रुख़ था या क्या आपने आदेश दिया। किया आप का फ़तवा था। इनके बारे में बयान करूंगा।

हमें याद रखना चाहिए कि इस ज़माने में शरीयत के आदेश के बारे में आप अलैहिस्सलाम का आदेश या सिद्धांत ही हमारे लिए इस मामला का फ़िक़्ही समाधान और निर्णय है।

पहली बात तो हमेशा यह याद रखनी चाहिए कि इस्लाम में कर्म का आधार तक्वा है। इसलिए तक्वा को सामने रखते हुए रोज़ों के बारे में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इस उपदेश को सामने रखें कि अपने रोज़ों को ख़ुदा के लिए ईमानदारी के साथ पूरे करो।" (कश्ती नूह रूहानी ख़ज़ायन भाग 19 पृष्ठ 15)

कुछ लोग यह सवाल करते हैं जैसे रमज़ान के बारे में विभिन्न बच्चे भी सवाल करते हैं कि रमज़ान और ईद आदि जो हम ग़ैर अहमदी मुसलमानों से अलग समय में क्यों पढ़ते हैं या क्यों शुरू करते हैं। प्रथम तो यह कोई नियम नहीं कि हमारे रमज़ान शुरू करने के दिन और ईद का दिन ज़रूर अलग हो। और न ही हम जानबूझकर इस में मतभेद करते है। कई वर्षों में कई ऐसे भी साल आए हैं और आते हैं कि हमारे और दूसरे मुसलमानों के रोज़े और ईद एक ही दिन होते हैं। पाकिस्तान में और मुस्लिम देशों में जहां हिलाल देखने की (चांद देखने के कमेटी) कमेटियां सरकार द्वारा बनी हुई हैं जब वे यह घोषणा करती हैं कि चांद नज़र आ गया है और गवाहों की उपस्थिति है हम अहमदी मुसलमान भी तदनुसार अपने रोज़े रखते हैं और रोज़े हमारे ख़त्म भी तदनुसार होते हैं और ईद भी तदनुसार मनाई जाती हैं।

इन देशों में जो पश्चिमी देश हैं, यूरोपीय देश हैं न ही सरकार द्वारा किसी हिलाल देखने का प्रबंधन है और न ही इसका ऐलान किया जाता है। इसलिए हम चांद दिखने की स्पष्ट संभावना को सामने रखते हुए रोज़े शुरू करते हैं और ईद करते हैं। हां अगर हमारा अनुमान ग़लत हो और चंद्रमा पहले नज़र आ जाए तो फिर बुद्धिमान वयस्क गवाहों की गवाही के साथ, मोमिनों की गवाही के साथ कि उन्होंने चाँद देखा है पहले भी रमज़ान शुरू किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि जो एक चार्ट बन गया है इस के अनुसार ही रमज़ान शुरू हो। लेकिन स्पष्ट रूप से चाँद दिखना चाहिए। उसका दिखना आवश्यक है लेकिन यह कहना कि हम निश्चित रूप से ग़ैर अहमदी मुसलमानों की घोषणा के बिना चाँद देखे रोज़े शुरू और ईद कर लें यह बात ग़लत है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस बात को अपनी एक किताब "सुरम: चश्म आर्य" में भी उल्लेख किया। गणना या अनुमान को खारिज नहीं किया। यह भी एक वैज्ञानिक ज्ञान है लेकिन देखने की प्राथमिकता वर्णन की है।

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं कि

"खुदा तआला ने धर्म के आदेश सुविधाजनक और आसान करने के उद्देश्य से आम जनता को साफ और सीधा रास्ता बतलाया है और ग़लत प्रकार की परेशानियों और जटिल बातों में नहीं डाला। जैसे रोज़े के लिए यह आदेश नहीं दिया कि तुम जब तक कल्पना पर आधारित ज्योतिष के नियम की दृष्टि से यह पता न करो कि चाँद उन्तीस का होगा या तीस का तब तक देखने का कभी भरोसा मत करो।" (अर्थात

जो नियम वैज्ञानिकों की तरफ से अनुमान के अनुसार बनाए गए हैं जो खगोलीय या सितारों का ज्ञान रखते हैं उन्होंने जो नियम बनाए हैं ज़रूरी नहीं इन नियमों का पालन आवश्यक है और अगर इन के अनुमान यह कहते हैं कि चाँद उन्तीस का होगा या तीस का तो उस पर अनुकरण करो और चाँद को देखने की कोशिश न करो। देखने का कदापि विश्वास न करो यह ग़लत है। आपने फरमाया कि जब तक यह नहीं होता देखने का कदापि विश्वास न करो) और आंखें बंद रखो क्योंकि स्पष्ट है कि जान बूझ कर ज्योतिष के कठिन कार्यों को जन साधारण के गले का हार बनाना यह अकारण का हर्ज और सामर्थ्य से बढ़ कर पीड़ा है।" (बिना कारण इसी बात का पालन करना क्योंकि हमारे अनुमान बता रहे हैं इस के अतिरिक्त हम और कुछ नहीं करेंगे यह अकारण की परेशानी है।) फरमाया कि "और यह भी पता है कि ऐसे हिसाबों के लगाने में बहुत सी ग़लतियाँ होती रहती हैं अत: यह बड़ी सीधी बात(है) और जनता के यथा उचित है कि लोग ज्योतिष्यों और सितारा देखने वालों पर आधारित न रहें (अर्थात केवल सितारों और आकाशीय पिंडों का ज्ञान रखने वाले लोगों के मोहताज न रहें) और चंद्रमा के ज्ञात करने में कि किस तारीख़ को निकलता है अपने देखने पर भरोसा रखें। केवल बौद्धिक रूप से समझ रखें कि तीस के अंक को पार न करे।(चाँद को देखना आवश्यक है अगर देखने की कोशिश की जाए और दिखाई न दे तो फिर जो गणना है इस पर भी निर्भर किया जा सकता है और इस बात पर भी निर्भर हो कि तीस दिन से अधिक ऊपर न जाएँ और फरमाया कि )और यह भी याद रखना चाहिए कि वास्तव में बुद्धि के निकट देखने को हिसाब के अनुमानों पर प्राथमिकता है। (बुद्धि भी यह कहती है कि जो आंखों से देखना है इस को केवल गणितीय अनुमान जो हैं उन अनुमानों पर फिर भी प्राथमिकता है।) फरमाया कि आख़िर यूरोप के विद्वानों ने भी जब देखने को अधिकतर विश्वसनीय समझा तो इस नेक विचार के कारण से देखने की शक्ति के तरह तरह के उपकरण दूरबीन और खुर्दबीन आविष्कार किए।" (सुरम: चश्म: आर्य: रूहानी ख़ज़ायन भाग 2 पृष्ठ 192-193) जो यूरोप के पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वैज्ञानिक हैं उन्होंने जब इस बात को विश्वसनीय मानते हुए कि देखना जो है वह बहरहाल उच्च बात है, इस विचार के कारण अपने उपकरण बनाए हैं। दूरबीनें बनाई हैं जिनके माध्यम से वे आकाशीय पिंडों को देखते हैं।

जैसा कि मैंने कहा कई बार गणना में ग़लती हो सकती है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया और अगर ग़लती हो जाए जैसे अगर चंद्रमा एक दिन पहले दिखना प्रमाणित हो जाए तो फिर क्या किया जाए क्योंकि इस का अर्थ है कि एक रोज़ा छूट गया। हम ने एक दिन बाद शुरू किया और चाँद इससे पहले नज़र आ गया और प्रमाणित भी हो गया कि नज़र आ गया था इस बारे में एक बार हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सेवा में प्रश्न प्रस्तुत हुआ। सियालकोट से एक दोस्त ने पूछा कि यहाँ चाँद मंगलवार शाम को नहीं देखा गया बल्कि बुधवार को देखा गया है जबकि रमज़ान बुधवार को शुरू हो चुका था। आम तौर पर इस क्षेत्र में हर जगह इसलिए पहला रोज़ा जुम्मेरात को रखा गया उसने पूछा कि रोज़ा तो बुधवार को रखा जाना चाहिए था। हमारे यहां पहला रोज़ा गुरुवार को रखा गया अब क्या करना चाहिए।? हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसके बदले में रमज़ान के बाद एक रोज़ा रखना चाहिए। (मल्फ़ूज़ात भाग 9 पृष्ठ 437 प्रकाशन 1985 ई यू. के) जो रोज़ा छूट गया वह रमज़ान के बाद पूरा करो।

इसी तरह सेहरी खाने का मामला है। सेहरी खाकर रोज़ा रखना आवश्यक है। आँ हज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने भी हमें यही आदेश दिया है। अत: एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े के दिनों में सेहरी खाया करो क्योंकि सेहरी खाकर रोज़ा रखने में बरकत है।

( सहीह बुख़ारी कितुस्सौम हदीस 1923)

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम भी इस की पाबन्दी फरमाया करते थे। ख़ुद भी और जो अपने जमाअत के मित्र लोग थे उन्हें भी फरमाया करते थे कि सेहरी आवश्यक है । इसी तरह जो मेहमान कादियान में आते थे उनके लिए भी सेहरी का नियमित प्रबंधन हुआ करता था बल्कि बड़ा आयोजन हुआ करता था।

इस बारे में हज़रत साहिबज़ादा मिर्ज़ा बशीर अहमद साहिब रज़ियल्लाहो अन्हो लिखते हैं कि मुंशी जफर अहमद साहिब कपूरथलवी ने लिख के मुझे बताया, कि मैं कादियान मस्जिद मुबारक से जुड़े कमरे में ठहरा करता था। एक बार सेहरी खा रहा था कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पधारे। आप को सेहरी खाते देखकर फरमाया कि आप दाल से रोटी खाते हैं।?( सेहरी के समय दाल रोटी खा रहे थे) और उसी समय प्रबन्धक को बुलवाया और कहने लगे कि सेहरी के समय दोस्तों को ऐसा खाना देते हैं ? आप ने फरमाया कि यहाँ हमारे जितने मित्र हैं वे सफर में नहीं हैं (यहाँ ठहरे हुए हैं रोज़े रख रहे हैं।) प्रत्येक से पता करो कि उन्हें क्या खाने की आदत है और वह सेहरी में क्या क्या चीज़ पसंद करते हैं। वैसा ही खाना उनके लिए तैयार रहना। फिर व्यवस्थापक मेरे लिए और खाना लाया मगर मैं खा चुका था और अज़ान भी हो गई थी। हुज़ूर ने फरमाया खाओ अज़ान जल्दी दी गई है उसका ख्याल न करो।"

(सीरतुल महदी भाग 2 हिस्सा चतुर्थ पृष्ठ 127 रिवायत 1163)

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के साथ नमाज़ तहज्जुद पढ़ना और सेहरी खाने के बारे में एक रिवायत फरमाते हुए हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहिब कहते हैं कि डॉक्टर मीर मुहम्मद इस्माइल साहिब ने मुझ से कहा कि 1895 ई में मुझे सारा रमज़ान कादियान में बिताने का संयोग हुआ और मैंने सारा महीना हज़रत साहिब के पीछे नमाज़ तहज्जुद अर्थात तरावीह अदा की। आपकी यह आदत थी कि वितर रात के प्रथम हिस्सा में पढ़ लेते थे और नमाज़ तहज्जुद आठ रकअत दो दो रक्'अत करके आख़िर रात में अदा फरमाते थे। जिसमें आप हमेशा पहली रकअत में आयतल कुर्सी तिलावत फरमाते اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ से وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ तक। और दूसरी रक्'अत में सूरा: इख़लास की क़िरअत फरमाते थे और रुकूअ और सजदों में يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ प्राय पढ़ा करते थे और ऐसी आवाज़ से पढ़ते थे कि आप की आवाज़ मैं सुन सकता है। तथा आप हमेशा सेहरी नमाज़ तहज्जुद के बाद खाते थे और इसमें इतनी देरी करते थे कि कई बार खाते खाते अज़ान हो जाती थी और आप कभी कभी अज़ान के खत्म होने तक खाना खाते रहते थे।" हज़रत मियां बशीर अहमद साहिब कहते हैं कि दरअसल मामला यह है कि जब तक सुबह सादिक पूर्व क्षितिज से प्रकट न हो सेहरी खाना जायज़ है। अज़ान के साथ उसका कोई संबंध नहीं है क्योंकि सुबह की अज़ान का समय भी सुबह सादिक के प्रकट होने पर निर्धारित है। इसलिए लोग प्राय कुछ स्थानों पर सेहरी की सीमा अज़ान होने को समझ लेते हैं। कादियान में चूंकि सुबह की अज़ान सुबह सादिक के फूटते ही हो जाती है बल्कि संभव है कि कभी कभी ग़लती और बे ध्यानी से भी पहले हो जाती हो। इसलिए ऐसे मौकों पर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अज़ान का कुछ विचार न करते थे और सुबह सादिक के प्रकट होने तक सेहरी खाते रहते थे और वास्तव में शरीयत की इच्छा भी इस मामले में यह नहीं है कि जब ज्ञान और गणना के रूप में सुबह सादिक शुरू हो इसके साथ ही खाना छोड़ दिया जाए बल्कि इच्छा यह है कि जब आम लोगों की नज़र में सुबह सादिक की सफेदी दिखाई दे उस समय खाना छोड़ दिया जाए। इसलिए "तबय्यन" का शब्द इसी बात को प्रदर्शित कर रहा है। हदीस में भी आता है कि आँ हज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल की अज़ान से सेहरी न छोड़ा करो बल्कि इब्न मकतूम की अज़ान तक बेशक खाते पीते रहा करो क्योंकि इब्ने मकतूम अन्धे थे और जब तक लोगों में शोर न पड़ जाता था कि सुबह हो गई है सुबह हो गई तब तक अज़ान न देते थे।"

(सीरतुल महदी भाग 2 हिस्सा चतुर्थ रिवायत 320 पृष्ठ 295-296 )

पिछले साल एक दोस्त को मैंने कहा था कि आप अधिक देर तक सेहरी खाते रहते हैं। इस बात पर उन्होंने शायद मेरी बात सुन कर दोबारा रोज़े रख लिए। लेकिन अगर यह समय जो था उस समय से आगे नहीं ले गए थे तब तो ठीक है रोज़े रखने में कोई हर्ज नहीं था। और अब भी प्रत्येक समीक्षा कर सकता है। यहां तो अज़ानें नहीं होतीं। सुबह सादिक को देखना आवश्यक है। जब पौ फटती है अर्थात जब सफेदी आ जाती है तब तक सेहरी खाई जा सकती है।

सेहरी में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के आतिथ्य का एक और उदाहरण भी है। हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहिब लिखते हैं कि डॉक्टर ख़लीफा रशीदुद्दीन साहिब मरहूम की पत्नी साहिबा ने लजना इमा अल्लाह कादियान के माध्यम से लिखित बयान दिया है कि 1903 ई का उल्लेख है कि वह और डॉक्टर साहिब मरहूम रुड़की से आए। चार दिन की छुट्टी थी। हुज़ूर ने फरमाया कि सफर में तो रोज़ा नहीं था ? हमने कहा नहीं। हुज़ूर ने हमें गुलाबी कमरा रहने को दिया। डॉक्टर साहिब ने कहा हम रोज़ा रखेंगे। आपने फ़रमाया बहुत अच्छा। फिर फरमाया कि आप सफर पर हैं। डॉक्टर साहिब ने कहा हुज़ूर कुछ दिनों तक रहना है दिल चाहता है रोज़ा रखूं। आपने फ़रमाया कि अच्छा हम आपको कश्मीरी पराठे खिलाया करेंगे। हम ने सोचा कि कश्मीरी पराठे ख़ुदा जाने कैसे होंगे। जब सेहरी का समय हुआ और हम ने तहज्जुद और नफल पढ़ लिए और खाना आया तो हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ख़ुद गुलाबी कमरे में आए (जो कि मकान की निचली मंजिल में था) हज़रत मौलवी अब्दुल करीम साहिब मकान के ऊपर तीसरी मंजिल पर रहा

करते थे। उनकी बड़ी पत्नी करीम बीबी साहिबा जिन्हें मौलवीयानी कहा करते थे कश्मीरी थीं और पराठे अच्छा पकाया करती थीं। हुज़ूर ने यह पराठे उनसे हमारे लिए पकवाए थे। पराठे गर्म गर्म ऊपर से आते थे और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ख़ुद लेकर हमारे आगे रखते थे और कहते थे अच्छी तरह खाओ। मुझे तो शर्म आती थी और डॉक्टर साहिब भी लज्जित थे मगर हमारे दिलों पर जो प्रभाव हज़ूर की करूणा और इनायत का था इससे सारे शरीर में ख़ुशी से रोमांच की लहर पैदा हो रही थी। इतने में अज़ान हो गई तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि और खाओ अभी बहुत समय है। फरमाया कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमाया है।

كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۪

(अल्बकरह: -188) फरमाया कि इस पर लोग अनुकरण नहीं करते। आप खाएं अभी बहुत समय है मुअज़्ज़िन ने समय से पहले अज़ान दे दी है। (फिर कहती हैं) जब तक हम खाते रहे सामने खड़े रहे और टहलते रहे बावजूद इस के कि डॉक्टर साहिब ने निवेदन किया कि हुज़ूर पधारें मैं ख़ुद सेविका से पराठे पकड़ लूँगा या मेरी पत्नी ले लेगी मगर हुज़ूर ने न माना और हमारे लिए आतिथ्य में लगे रहे। इस खाने में सालन (करी) भी था और दूध सेंवई आदि भी।

(सीरतुल महदी भाग 2 हिस्सा पन्चम पृष्ठ 202-203 रिवायत 1320 )

बेशक अच्छा खाना तो खाएं लेकिन इसमें भी मध्यवर्ती होनी चाहिए। रोज़ा रख कर यह एहसास भी होना चाहिए कि हम ने रोज़ा रखना है। अत: इस बारे में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के हवाला से बताते हुए हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहो अन्हो से वर्णित है कि अल्लाह तआला फरमाता है يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ। हम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि तुम ईमान लाओ और फिर तंगियों में व्यतीत करो। इसलिए हम ने रोज़े फ़र्ज़ किए। (अल्लाह तआला यह फरमाता है) ताकि तुम्हारी तंगियाँ दूर हों। यह ऐसा बिन्दू है जो मोमिन को मोमिन बनाता है। (यह बड़ा बिंदु याद रखने वाला है कि तुम्हारे लिए आसानी चाहता है। तंगी नहीं चाहता और इस की व्याख्या किया है।) यह ऐसा बिन्दू है जो मोमिन को मोमिन बनाता है और जो यह है कि रोज़े में भूखा रहना या धर्म के लिए कुर्बानी करना इंसान के लिए एक नुकसान का कारण नहीं बल्कि सरासर लाभ का कारण है। जो यह समझता है कि रमज़ान में इंसान भूखा रहता है वह कुरआन का इंकार करता है क्योंकि अल्लाह तआला फरमाता है कि तुम भूखे थे हम ने रमज़ान निर्धारित किया ताकि तुम रोटी खाओ। तो पता चला कि रोटी यही है जो ख़ुदा तआला खिलाता है और वास्तविक जीवन उसी से है इस के अतिरिक्त जो रोटी है वह रोटी नहीं पत्थर हैं जो खाने वाले के लिए मौत का कारण हैं। मोमिन का कर्तव्य है कि जो कौर उसके मुँह में जाए इस के बारे में पहले वह देखे किसके लिए है। अगर तो वह ख़ुदा के लिए है तो वही रोटी है और अगर नफस के लिए है तो वह रोटी नहीं।"

इसलिए सेहरी अल्लाह तआला के हुक्म से अगर खाई जा रही है तो अगर अच्छी भी खाई जा रही है तो वह अल्लाह तआला के लिए है और वह जिस तरह कि आँ हज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसमें बरकत है और फिर अगर पेट भरना है और अच्छा भोजन खाना है और मज़ा लेना है तो वह अपने लिए है। फिर आगे हज़रत मुस्लेह मौऊद ने बताया कि जो कपड़ा ख़ुदा के लिए पहना जाए वही पोशाक है जो नफस के लिए पहना जाता है वह नंगा है। देखो कैसे सूक्ष्म तरीके में बताया कि जब तक ख़ुदा तआला के लिए पीड़ा और दु:ख सहन न करो तुम सुविधा नहीं उठा सकते। इससे उन लोगों के विचार भी झूठे हो जाते हैं जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कथन के अनुसार रमज़ान को मोटे होने का माध्यम बना लेते हैं। (कुछ लोग ऐसे हैं जिन के वज़न रमज़ान में कम होने के बढ़ जाते हैं।) हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि कुछ लोगों के लिए तो रमज़ान ऐसा ही होता है जैसे घोड़े के लिए ख़वीद। (अर्थात गेहूं और जौ की अच्छी उच्च खुराक होती है।) और वे लोग इन दिनों खूब घी मिठाई और तेल वाले खाने खाते हैं और इसी तरह मोटे होकर निकलते हैं जिस तरह ख़वीद के बाद घोड़ा। यह बात भी रमज़ान की बरकतों को कम करने वाली है।

(उद्धरित तफसीर कबीर भाग 2 पृष्ठ 395-396)

अब एक तरफ आदेश है कि सेहरी खाओ इसमें बरकत है इफ्तारी करो इसमें बरकत है। लेकिन दूसरी तरफ अगर केवल खाना ही लक्ष्य हो तो एक यह चीज़ इस बरकत को कम भी कर देती है। इसलिए संयम आवश्यक है। अच्छा खाओ लेकिन मध्यम मार्ग के साथ।

सफर और बीमारी में रोज़ा जायज़ (वैध) नहीं। हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहो अन्हो एक जगह फरमाते हैं मुझे ख़ूब याद है कि शायद मिर्ज़ा याकूब बैग साहिब जो आजकल ग़ैर मुबाई हैं और उनके नेताओं में से हैं। एक बार बाहर से आए। असर का समय था। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ज़ोर दिया कि रोज़ा खोल दें और फरमाया सफर में रोज़ा वैध नहीं। इसी तरह एक बार बीमारियों का उल्लेख हुआ तो फरमाया हमारा यही धर्म है कि छूट का लाभ उठाना चाहिए। धर्म सख्ती नहीं बल्कि आसानी सिखाता है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते थे। जो लोग यह कहते हैं कि बीमार और मुसाफिर अगर रोज़ा रखे रख सके तो रख ले हम इसे उचित नहीं समझते। इस बारे में हज़रत ख़लीफतुल मसीह अव्वल रज़ियल्लाहो अन्हो ने मोहिउद्दीन इब्ने अरबी का उद्धरण वर्णन किया कि सफर और बीमारी में रोज़ा रखना आप वैध नहीं मानते थे और उनके निकट ऐसी हालत में रखा हुआ रोज़ा पुन: रखना चाहिए। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर कहा हां हमारा भी यही मानना है। (ख़ुत्बाते महमूद भाग 13 पृष्ठ 37)

हज़रत मुस्लेह मौऊद एक और अवसर पर फरमाया कि आप सम्बोधन कर रहे थे कि मुझे एक प्रश्न प्रस्तुत किया गया है और वह यह है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने रोज़े के बारे में यह फतवा दिया है कि "मरीज़ और मुसाफिर अगर रोज़े करेंगे तो उन पर आदेश तोड़ने का फतवा अनिवार्य होगा" और हज़रत मुस्लेह मौऊद को उन्होंने कहा कि अल्फज़ल में यह घोषणा आप की ओर से प्रकाशित की गई है। कि अहमदी दोस्त जो सालाना जलसे पर आएं वे यहाँ आकर रोज़े रख सकते हैं। (वार्षिक जलसा के दिनों में रमज़ान आ गया था और जलसा उन्हीं दिनों में हुआ और लेकिन जिन्होंने रोज़े रखने थे वे रोज़े भी रखते रहे।) मगर जो न रखें और बाद में रखें उन पर भी कोई आपत्ति नहीं। (यह घोषणा प्रकाशित हुई है।) इस बारे में हज़रत मुस्लेह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं "कि प्रथम तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा कोई फतवा अल्फज़ल में प्रकाशित नहीं हुआ। हाँ एक फतवा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का मेरी रिवायत से छपा है। मूल बात यह है कि ख़िलाफत के समय से पहले दिनों में सफर में रोज़े में मना किया करता था क्योंकि मैंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को देखा कि आप मुसाफिर को रोज़े की अनुमति नहीं देते थे। एक बार मैंने देखा कि मिर्ज़ा अय्यूब बैग साहिब रमज़ान में आए और उन्होंने रोज़ा रखा हुआ था लेकिन असर के समय जब वे आए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने यह कहकर रोज़ा खुलवा दिया कि सफर में रोज़ा रखना अवैध है। इस पर इतनी लंबी बहस और चर्चा हुई जैसा कि पहले उल्लेख हो चुका है हज़रत ख़लीफतुल मसीह अव्वल ने समझा कि शायद किसी को ठोकर न लग जाए इसलिए आप ने इब्ने अरबी का उद्धरण प्रस्तुत किया कि वह भी यही कहते हैं। हज़रत मुस्लेह मौऊद कहते हैं इस घटना का मुझ पर यह प्रभाव था कि मैं सफर में रोज़ा रखने से रोकता था। संयोग ऐसा हुआ कि एक रमज़ान में मौलवी अब्दुल्लाह साहिब सनौरी यहाँ रमज़ान गुज़ारने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि आप बाहर से आने वालों को रोज़े से मना करते हैं मगर मेरी रिवायत है कि यहां एक साहिब आए और उन्होंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से निवेदन किया कि मुझे यहाँ रहना है इस बीच में रोज़े रखूँ या न रखूं।? (पहले दो घटनाएं भी गुज़र चुकी हैं कि मुसाफिर कादियान में आ कर रोज़े रखते थे।) इस पर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ आप रोज़े रख सकते हैं क्योंकि कादियान अहमदियों के लिए दूसरा देश है। (हज़रत मुस्लेह मौऊद फरमाते हैं) यद्यपि मौलवी अब्दुल्लाह साहिब मरहूम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बड़े अंतरंग थे मगर मैंने सिर्फ उनकी रिवायत को स्वीकार नहीं किया और लोगों की भी इस बारे में गवाही ली तो मालूम हुआ कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम कादियान आवास के दिनों में रोज़े की अनुमति देते थे लेकिन आने और जाने के दिन रोज़े की अनुमति नहीं देते थे इसलिए मुझे पहला विचार बदलना पड़ा। फिर जब इस बार रमज़ान में वार्षिक जलसा आने वाला था और सवाल उठा कि आने वालों को रोज़ा रखना चाहिए या नहीं तो एक साहिब ने बताया कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब जलसा रमज़ान में आया तो हम ने ख़ुद मेहमानों को सेहरी खिलाई थी। इस हालत में जब मैंने यहाँ जलसा में आने वालों को रोज़े की अनुमति दी तो यह भी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का ही फतवा है। पहले उलेमा तो सफर में रोज़ा भी मान्य ठहराते रहे हैं और आजकल के सफर को तो ग़ैर अहमदी मौलवी सफर ही नहीं बताते लेकिन हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने सफर में रोज़ा रखने से मना किया है। फिर आप ने ही यह भी फरमाया कि यहां कादियान में आ कर रोज़े रखना जायज़ है। अब यह नहीं होना चाहिए कि हम अपने एक फतवा तो ले लें और दूसरा छोड़ दें। इस प्रकार तो वही बात बन जाती है जो किसी पठान से संबंधित प्रसिद्ध है कि पठान फिक्ह: (न्यायशास्त्र) के बहुत पाबंद होते हैं। एक पठान छात्र

था जिसने फिक्ह में पढ़ा कि नमाज़ हरकत कबीरा से टूट जाती है। जब उसने हदीस में नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा कि आप एक बार हरकत की तो कहने लगा। ओह रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की नमाज़ टूट गई क्योंकि कदूरी में लिखा है कि हरकत कबीरा से नमाज़ टूट जाती है। (अत: यह पठान या जो भी व्यक्ति इन मौलवियों के पढ़े हुए उल्टे आँ हज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को फतवे देने लग गए। तो आप फरमाते हैं।) अत: जिसने यह फतवा दिया कि सफर में रोज़ा नहीं रखना चाहिए उसी ने यह भी कहा कि कादियान अहमदियों की दूसरी मातृभूमि जैसा है यहाँ रोज़ा रखना जायज़ है इसलिए यहां रोज़े आप ही के फतवे के अनुसार हुआ यद्यपि इस के और भी कारण हैं।

(अल्फज़ल 4 जनवरी 1934 ई पृष्ठ 3-4 जिल्द 21 नम्बर 80)

निवास के दौरान रोज़ा के बारे में हज़रत सय्यद मुहम्मद सरवर शाह साहिब लिखते हैं कि रोज़ों के विषय में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर किसी व्यक्ति ने एक स्थान पर तीन दिन से अधिक निवास करना हो तो वह रोज़े रखे और अगर तीन दिन से कम निवास करना हो तो रोज़े न रखे और अगर कादियान में कम दिन ठहरने के बावजूद रोज़े रख ले तो रोज़े पुन: रखने की ज़रूरत नहीं।

(फतावा हज़रत सय्यद मुहम्मद सरवर शाह साहिब रजिस्ट्रर नम्बर 5 दारुल फतावा रबवा उद्धरित फिक्हुल मसीह पृष्ठ 208 अध्याय रोज़ा और रमज़ान)

क्योंकि कादियान दूसरा देश है उसमें तीन दिन से कम समय में भी अगर रखना चाहे तो रख सकता लेकिन बाकी जगहों पर तीन दिन अगर निवास है तो रोज़ा रख सकता है।

मुसाफिर और रोगी रोज़ा न रखें। इस बारे में एक रिवायत है कि हज़रत अक़दस अलैहिस्सलाम यह जानकर कि लाहौर से एक व्यक्ति शेख मुहम्मद चट्टो साहिब आए हैं और अन्य मित्र भी आए हैं और इसलिए अब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अपने महान चरित्र के कारण से बाहर निकले। उद्देश्य यह था कि बाहर सैर को निकलेंगे मित्रों से मुलाकात हो जाएगी जो लोग आए हैं उनसे मुलाकात हो जाएगी। दूसरे लोगों को भी पता लग गया था कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम बाहर पधारेंगे। इसलिए बहुत सारे लोग छोटी (मस्जिद मुबारक में) मौजूद थे। जब हज़रत अक़दस अपने दरवाज़ा से बाहर आए तो सामान्य के अनुसार ख़ुद्दाम परवानों की तरह आप की ओर दौड़े। आप शेख साहिब की ओर देखकर मसनून सलाम के बाद खैरियत पूछी कि आप अच्छी तरह से रहे हैं।? पुराने मिलने वालों में से हैं। और उन्होंने बाबा चट्टो जो आए थे उन्होंने कहा बड़ा शुक्र है। हज़रत अक़दस ने हकीम मुहम्मद हुसैन कुरैशी साहिब को संबोधित करके कहा कि यह आप का कर्तव्य है कि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन के खाने ठहरने का पूरा प्रबंध कर दो। जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बताओ और मियां नजमुद्दीन को निर्देश कर दो कि खाने के लिए जो उचित हो और पसंद करें वह तैयार करें। हकीम साहिब ने कहा बहुत अच्छा। इंशा अल्लाह तआला तकलीफ नहीं होगी और फिर हज़रत अक़दस ने इन मेहमान से पूछा कि आप ने रोज़ा तो नहीं रखा। उन्होंने कहा, मुझे तो रोज़ा है। मैंने रख लिया है। वह अहमदी नहीं थे। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया। कुरआन शरीफ की छूट पर पालन करना भी तक्वा है। ख़ुदा तआला ने मुसाफिर और बीमार को दूसरे समय रखने की अनुमति और आज्ञा दी है इसलिए इस आदेश पर भी तो अनुकरण रखना चाहिए। आपने फरमाया मैंने पढ़ा है कि प्राय बड़े लोग इस ओर गए हैं कि अगर कोई सफर की हालत या बीमारी में रोज़ा रखता है तो यह अवहेलना है गुनाह है क्योंकि उद्देश्य तो अल्लाह तआला की इच्छा है न अपनी इच्छा और अल्लाह तआला की इच्छा अनुपालन में है जो हुक्म वह दे उसे आज्ञाकारिता की जाए और अपनी ओर से इस पर टीका टिप्पणी न चढ़ाई जाए। उसने तो यही हुक्म दिया है कि مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ (अल्बकर: ) इसमें कोई और कैद नहीं लगाई कि ऐसा सफर हो या ऐसी बीमारी हो। सफर की हालत में रोज़ा नहीं रखना और ऐसा ही बीमारी की हालत में। इसलिए आज भी मेरी तबियत अच्छी नहीं तो मैंने रोज़े नहीं रखा। चलने-फिरने से बीमारी में कुछ कमी होती है इसलिए बाहर जाऊँगा। (उन मेहमान से पूछा) क्या आप भी चलेंगे।? बाबा चट्टों ने कहा मैं नहीं, मैं तो नहीं जा सकता आप हो आएं। यह आदेश तो नि:संदेह है मगर सफर में कोई कष्ट नहीं फिर क्यों रोज़ा रखा जाए। हज़रत अक़दस ने फरमाया यह तो आपकी अपनी राय है कुरआन शरीफ में तो परेशानी या ग़ैर तकलीफ का कोई वर्णन नहीं कहा। अब आप बहुत बूढ़े हो गए हैं जीवन का भरोसा कुछ नहीं इंसान को वह रास्ता लेना चाहिए जिस से अल्लाह तआला राज़ी हो जाए और सीधा पथ मिल जाए। इस पर बाबा साहिब ने कहा कि मैं तो इसलिए आया हूँ कि आप से कुछ लाभ उठाऊं। अगर यही राह सच्ची है तो ऐसा न हो कि हम लापरवाही ही में मर जाएं। हज़रत अक़दस ने फरमाया हां यह बहुत बढ़िया बात है। फिर फरमाया कि थोड़ी दूर हो आऊं। आप आराम करें।"

(उद्धरित अलहकम 31 जनवरी 1907 ई पृष्ठ 14 जिन्द नम्बर 4)

बीमार और मुसाफिर के रोज़े का उल्लेख हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की मज्लिस में हुआ था। हज़रत मौलवी नूरुद्दीन साहिब ने फिर वही कथन कहा कि शेख इब्ने अरबी का कथन है कि बीमार या मुसाफिर रोज़े के दिनों में रोज़ा रख ले तो भी उसे स्वास्थ्य पाने पर रमज़ान के गुज़रने के बाद रोज़ा रखना अनिवार्य है क्योंकि ख़ुदा तआला ने फरमाया है कि

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ (अलबकर: 185)

जो तुम में से बीमार हो या सफ़र में हो वह रमज़ान के बाद के दिनों में रोज़े रखे। इसमें ख़ुदा तआला ने यह नहीं फरमाया कि जो रोगी या मुसाफिर अपनी ज़िद या अपने दिल की इच्छा को पूरा करने के लिए इन्हीं दिनों में रोज़े रखे तो बाद में रखने की उसे ज़रूरत नहीं। ख़ुदा तआला का स्पष्ट आदेश यह है कि वह बाद में रोज़े रखे। बाद के रोज़े इस पर बहरहाल फर्ज़ हैं। बीच के रोज़े अगर वह रखे तो यह बात अधिक है और उसके दिल की इच्छा है इससे ख़ुदा तआला का वह आदेश जो बाद में रखने के बारे में है टल नहीं सकता। हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो व्यक्ति रोगी और सफर की हालत में रमज़ान के महीने में रोज़े रखता है वह ख़ुदा तआला के स्पष्ट आदेश की अवज्ञा करता है। ख़ुदा तआला ने साफ कह दिया है रोगी और मुसाफिर रोज़ा न रखे। रोगी स्वास्थ्य पाने और सफर के समाप्त होने के बाद वह रोज़े रखे। ख़ुदा तआला के आदेश का पालन करना चाहिए क्योंकि मुक्ति फजल से है न कि अपने कार्यों का ज़ोर दिखाकर कोई मोक्ष प्राप्त कर सकता है।" ज़ोर से मुक्ति नहीं मिल सकती। फरमाया कि "ख़ुदा तआला ने यह नहीं फरमाया कि रोग थोड़ा हो या बहुत और सफर छोटा हो या लंबा बल्कि आदेश आम है और उस पर अनुकरण करना चाहिए। रोगी और मुसाफिर अगर रोज़े रखेंगे तो उन पर आदेश तोड़ने का फतवा अनिवार्य होगा।"

(मल्फूज़ात भाग 9 पृष्ठ 430-431 प्रकाशन 1985 ई यू. के)

एक रिवायत में आता है हज़रत साहिबज़ादा मिर्ज़ा बशीर साहिब लिखते हैं कि मियां रहमतुल्लाह साहिब पुत्र हज़रत मियां अब्दुल्लाह सनौरी साहिब रिवायत करते हैं कि एक बार हज़ूर अलैहिस्सलाम लुधियाना आए। रमज़ान शरीफ़ का महीना था। हम सब ग़ौस गढ़ से ही रोज़ा रख कर लुधियाना गए। हुज़ूर ने पिता जी मरहूम से स्वयं ही पूछा या किसी और से पता चला (यह मुझे याद नहीं) कि यह सब ग़ौस गढ़ से आने वाले रोज़ेदार हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया मियां अब्दुल्लाह ख़ुदा का आदेश जैसा रोज़े का है वैसा ही सफर में न रखने का है। आप सभी रोज़े तोड़ दें। दोपहर के बाद का यह उल्लेख है इसलिए सभी के रोज़े खुलवा दिए गए।

(सीरतुल महदी भाग 2 हिस्सा पन्चम पृष्ठ 125 रिवायत 1159 )

फिर एक और रिवायत है हज़रत साहिबज़ादा मिर्ज़ा बशीर अहमद साहिब ने लिखा है कि मियां अब्दुल्लाह सनौरी साहिब ने बताया कि "आरंम्भिक युग की बात है कि एक बार रमज़ान के महीने में कोई मेहमान यहाँ हज़रत साहिब के पास आए। उसे उस समय रोज़ा था और दिन का अधिक हिस्सा गुज़र चुका था बल्कि शायद असर के बाद का समय था। हज़रत साहिब ने उसे फरमाया आप रोज़ा खोल दें। उसने निवेदन किया कि अब थोड़ा दिन रह गया है अब क्या खोलना है। हुज़ूर ने फरमाया कि आप सीना ज़ोरी से ख़ुदा तआला को प्रसन्न करना चाहते हैं। ख़ुदा तआला सीना ज़ोरी से नहीं बल्कि अनुपालन से प्रसन्न होता है। जब अल्लाह तआला ने यह कह दिया है कि मुसाफिर रोज़ा न रखें तो नहीं रखना चाहिए इस पर उसने रोज़ा खोल दिया।" (सीरतुल महदी भाग 1 हिस्सा प्रथम पृष्ठ 97 रिवायत 117 )

इसी तरह हज़रत मुंशी जफर अहमद साहिब कपूरथलवी ने लिखा है कि एक बार मैं और हज़रत मुंशी अरोड़ा खान और हज़रत खान मुहम्मद खान लुधियाना हज़रत की ख़िदमत में हाज़िर हुए। रमज़ान का महीना था मैंने रोज़े रखा हुआ था और मेरे सहयोगियों ने नहीं रखा था। जब हम हज़रत की सेवा में हाज़िर हुए तो थोड़ा समय सूर्यास्त में बाकी था। (सूरज डूबने वाला था।) हज़रत को उन्होंने कहा कि ज़फर अहमद ने रोज़ा रखा हुआ है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम तुरंत अंदर तशरीफ़ ले गए और शर्बत का एक गिलास ले आए और फरमाया रोज़ा खोल दो सफर में रोज़ा रखना नहीं चाहिए। मैंने आदेश का पालन किया और उसके बाद हम ने वहाँ कुछ दिन ठहरना था इस कारण से रोज़े रखे। इफ्तार के समय हज़रत अक़दस ख़ुद तीन गिलास एक बड़े थाल में रखकर लाए। हम रोज़ा खोलने लगे

(क्योंकि बाद के दिनों में वहां निवास था वहाँ इसलिए फिर उन्होंने रोज़े रखे।) उन दिनों में जो रोज़े रखे हुए थे जबकि एक दिन हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इफ्तार के समय थाल में रखकर ट्रे में शर्बत के तीन बड़े गिलास लाए और हम इस से रोज़ा खोलने लगे। तो मैंने कहा कि हुज़ूर मुंशी जी को अर्थात मुंशी अरोड़ा खान को एक गिलास में क्या होता है।(सारे दिन का रोज़ा है। एक-एक गिलास आप पानी का लाए हैं इससे उनका क्या बनेगा।) हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और झट अंदर तशरीफ़ ले गए और एक बड़ा लौटा शर्बत का भरकर लाए और मुंशी जी को पिलाया। मुंशी जी यह समझकर कि हज़रत अक़दस के हाथ से शर्बत पी रहा हूं पीते रहे और ख़त्म कर दिया।

(असहाबे अहमद नवीन संस्करण रिवायत हज़रत मुंशी ज़फर अहमद रज़)

एक बड़ा एक जग ले कर आए वह ख़त्म कर दिया।

हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहिब एक रिवायत करते हैं लिखते हैं कि मलिक मौला बख्श साहिब पेंशनर ने मौलवी अब्दुल रहमान साहिब मुबल्लिग़ के माध्यम से लिखित बयान दिया कि एक बार हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम रमज़ान शरीफ़ में अमृतसर में आए आप का भाषण मंडवा बाबू या घनिया लाल (जिसका नाम अब बन्दे मातरम पाल है) में हुआ। सफर के कारण से हुज़ूर को रोज़ा नहीं था। व्याख्यान के दौरान मुफ्ती फजलुर्रहमान साहिब ने प्याली दी। हुज़ूर ने ध्यान न दिया। फिर वह आगे हुए। फिर भी हुज़ूर व्याख्यान में व्यस्त रहे। फिर मुफ्ती साहिब ने प्याली बिल्कुल करीब कर दी तो हुज़ूर ने लेकर चाय पी ली। इस पर लोगों ने शोर मचा दिया कि यह है रमज़ान शरीफ़ का सम्मान। रोज़े नहीं रखते और बकवास शुरू कर दी। व्याख्यान बंद हो गया और हज़ूर पीछे हो गए।(पीछे चले गए।) गाड़ी दूसरी ओर दरवाज़े के सामने लाई गई और हज़ूर इसमें प्रवेश कर गए लोगों ने ईंट पत्थर आदि मारने शुरू किए और हो हुल्लड़ मचाया। कार का शीशा टूट गया मगर हुज़ूर सकुशल निवास तक पहुंचे। यह बताते हैं कि बाद में सुना गया कि एक ग़ैर अहमदी मौलवी यह कहता था "अज्ज लोकां ने मिर्ज़े नूं नबी बना दित्ता।" मैंने ख़ुद उनके मुंह से तो नहीं सुना। तो आगे बताते हैं हज़रत मौलवी हकीम नूरुद्दीन साहिब के साथ हम बाहर निकले, तब और उनकी सेवा में अर्ज़ किया कि लोग ईंट पत्थर मार रहे हैं अब तक शोर शराबा था। ज़रा ठहर जाएं तो हज़रत ख़लीफा अव्वल ने कहा वह गया जिसे मारते थे मुझे कौन मारता है। चूंकि इस मौके पर मुफ्ती फजलुर्रहमान साहिब ने चाय पेश करने पर यह सब गड़बड़ हुई थी। (यह दंगा पैदा हुआ था लोगों ने शोर मचाया था।) इसलिए सब आदमी उन्हें कहते थे कि आप ने ऐसा क्यों किया। सब अहमदी उनके पीछे पड़ गए कि तुम्हारी वजह से यह सब हुआ है। रिवायत करने वाले कहते हैं कि मैंने भी उन्हें ऐसा कहा वह बेचारे तंग आ गए और बाद में मियां अब्दुल ख़ालिक साहिब मरहूम अहमदी ने मुझे बताया कि जब यह मामला हुज़ूर के सामने पेश हुआ कि मुफ्ती साहिब ने जान बूझ कर व्याख्यान ख़राब किया तो हुज़ूर ने फरमाया मुफ्ती साहिब ने कोई बुरा काम नहीं किया। अल्लाह तआला का एक आदेश है कि सफर में रोज़ा न रखा जाऐ। अल्लाह तआला ने हमारे कार्य से इस आदेश के प्रकाशन के अवसर पैदा कर दिया।( यह जवाब था हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का। जब यह जवाब हज़रत मुफ्ती साहिब ने सुना तो लिखने वाले लिखते हैं कि फिर तो मुफ्ती साहिब और भी शेर हो गए।"

(सीरतुल महदी भाग 2 हिस्सा चतुर्थ पृष्ठ 147 रिवायत 1202 )

बीमार होने पर रोज़ा खोल देना। हज़रत साहिबज़ादा मिर्ज़ा बशीर अहमद साहिब लिखते हैं कि डॉक्टर मीर मुहम्मद इस्माइल साहिब ने बताया कि एक बार लुधियाना में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने रमज़ान का रोज़ा रखा हुआ था कि दिल घटने का दौरा हुआ और हाथ पैर ठंडे हो गए। इस समय सूर्यास्त बहुत क़रीब था मगर आप ने तुरंत रोज़ा तोड़ दिया। आप हमेशा शरीयत में सुविधा के तरीके अपनाने को फरमाया करते थे। हज़रत मियां बशीर अहमद साहिब कहते हैं कि विनम्र निवेदन करता है कि हदीस में हज़रत आयशा रिवायत से आँ हज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के बारे में भी यही उल्लेख आता है कि आप हमेशा दो वैध रास्तों में से सुविधाजनक मार्ग को पसंद करते थे।

(सीरतुल महदी भाग 1 हिस्सा प्रथम पृष्ठ 637 रिवायत 697 )

यह प्रश्न हुआ कि कभी कभी रमज़ान ऐसे मौसम में आता है कि खेती करने वालों की जबकि काम की बहुतायत हो। जैसे बीजाई हो रही है या कटाई हो रही है ऐसे मज़दूरों से जिनका गुज़ारा मज़दूरी पर है रोज़ा नहीं रखा जाता। यह सवाल हुआ तो उसके विषय में क्या इरशाद है? हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि "अल्आमालो बिन्नय्याते" वे लोग अपनी स्थितियों को छिपा कर रखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति तक्वा और पवित्रता से अपनी हालत सोच ले अगर कोई अपनी जगह मज़दूरी पर रख सकता है तो ऐसा करे। वरना रोगी के आदेश में है फिर जब उपलब्ध हो रख ले, विशेष रूप से गर्मी के लंबे दिन होते और इन देशों में भीषण गर्मी होती है। वहाँ के बारे में है कि मज़दूरी के कारण से बाद में रखकर लें अगर और وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ के बारे में फरमाया इसका अर्थ यह है कि जो शक्ति नहीं रखते।

(मल्फूज़ात भाग 9 पृष्ठ 394 ई प्रकाशन 1985 ई यू. के)

रमज़ान में जिन से रोज़े नहीं रखे जाते वे फिदया दें उनके लिए किया आदेश है? इस बारे में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं कि "एक बार मेरे मन में आया कि फिदिया किस लिए निर्धारित किया गया है तो पता चला कि शक्ति के लिये ताकि कि रोज़े की तौफ़ीक़ इससे प्राप्त हो। ख़ुदा तआला की ही हस्ती है जो तौफ़ीक़ प्रदान करती है और हर वस्तु ख़ुदा तआला ही से मांगनी चाहिए। ख़ुदा तआला तो सर्वशक्तिमान है वह चाहे तो एक निर्बल को भी रोज़े की शक्ति दे सकता है। तो फिदिया का यही गंतव्य है कि वह शक्ति प्राप्त हो जाए और यह ख़ुदा तआला की कृपा से होता है। इसलिए मेरे निकट ख़ूब है कि दुआ करे कि इलाही यह तेरा एक मुबारक महीना है और मैं इससे वंचित रहा जाता हूँ और क्या मालूम कि अगले साल जीवित रहूं या न या इन मुर्दा रोज़ों को अदा कर सकूं या नहीं और तौफीक मांगे कि मुझे विश्वास है कि ऐसे दिल को ख़ुदा तआला क्षमा कर देगा।"

(मल्फूज़ात भाग 4 पृष्ठ 258-259 ई प्रकाशन 1985 ई यू. के)

हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहो अन्हो फरमाते हैं कि "फिदिया दे देने से रोज़ा अपनी ज़ात में माफ नहीं हो जाता बल्कि यह केवल इस बात का फिदिया है कि इन मुबारक दिनों में वह किसी वैध शरीयत की छूट के कारण से बाकी मुसलमानों के साथ यह इबादत अदा नहीं कर सका। आगे यह बहाने दो प्रकार के होते हैं एक अस्थायी और स्थायी। फिदिया सामर्थ्य की शर्त से इन दोनों रूपों में देना चाहिए। बहरहाल चाहे कोई फिदिया भी दे बहरहाल साल दो साल या तीन साल के बाद जब भी सेहत अनुमति दे उसे फिर रोज़े रखने होंगे सिवाय इस मामले के पहले रोग अस्थायी था और सेहत के बाद इरादा ही करता रहा कि आज रखता हूँ कल रखता हूँ कि इस दौरान उसकी सेहत फिर स्थायी रूप से ख़राब हो जाए। बाकी जो भी खाना खिलाने की शक्ति रखता हो तो चाहे वह रोगी या मुसाफिर है तो इसके लिए आवश्यक है कि रमज़ान में एक ग़रीब व्यक्ति को भोजन के रूप में दे और दूसरे दिनों में रोज़े रखे। यही हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का धर्म था हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम हमेशा फिदिया भी देते थे और बाद में रोज़े भी रखते थे और इसी की दूसरों को ताकीद भी किया करते थे।"

(तफसीर कबीर भाग 2 पृष्ठ 389)

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से एक सवाल पेश हुआ कि जो व्यक्ति रोज़े रखने में सक्षम न हो, इसके बदले ग़रीब व्यक्ति को खिलाना चाहे, इस खाने की रकम कादियान के अनाथ फंड में भेजना वैध है या नहीं( या जो भी अब जमाअत की प्रणाली है इसमें देना उचित है कि नहीं।)? हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक ही बात है चाहे अपने शहर में ग़रीब व्यक्ति को खिलाए या अनाथ और ज़रूरत मंद लोगों के फंड में भेज दे।" (मल्फूज़ात भाग 9 पृष्ठ 171 ई प्रकाशन 1985 ई यू. के) अपना कोई परिचित है किसी के रोज़े खुलवाने हैं तो वहां भी खुलवाए जा सकते हैं।

असावधानी में खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता। आपकी सेवा में एक पत्र से सवाल पेश हुआ। मैं सेहरी के समय रमज़ान के महीना में अंदर बैठा बेख़बरी से खाता पीता रहा जब बाहर निकल कर देखा तो पता चला कि सफेदी प्रकट हो गई है क्या वे रोज़े मेरे ऊपर रखना अनिवार्य है या नहीं।? (देर तक सेहरी करता रहा सफेदी प्रकट हो चुकी थी) आपने फरमाया कि बेख़बरी में खाया पिया तो उस पर रोज़े के बदले दूसरा रोज़ा अनिवार्य नहीं है।(मल्फूज़ात भाग 9 पृष्ठ 171 ई प्रकाशन 1985 ई यू. के) अगर असावधानी में खाया तो कोई हर्ज नहीं।

आयु का सवाल किस आयु में रोज़ा रखना चाहिए।? कई बच्चे भी पूछते हैं बड़े भी पूछते हैं। हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहो अन्हो फ़रमाते हैं कि यह बात याद रखना चाहिए कि शरीयत ने छोटी उम्र के बच्चों को रोज़े से मना किया है लेकिन यौवन के निकट उन्हें कुछ रोज़े रखने का अभ्यास ज़रूर कराना चाहिए। आप फरमाते हैं कि मुझे जहां तक याद है हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने मुझे पहला रोज़ा रखने की अनुमति बारह या तेरह साल की उम्र में दी थी लेकिन कुछ मूर्ख छह सात साल के बच्चों से रोज़े रखवाते हैं और समझते हैं कि हमें इसका सवाब होगा। यह नेकी का काम नहीं बल्कि ग़लत है क्योंकि यह उम्र विकास की होती है हां एक उम्र वह होती है कि यौवन के दिन निकट होते हैं और रोज़ा फर्ज़ होने वाला ही होता

EDITOR
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Editor : +91-9915379255
e-mail : badarqadian@gmail.com
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF THE NEWSPAPERS FOR INDIA AT NO RN XXX
The Weekly BADAR Qadian
Qadian - 143516 Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA
PUNHIND 01885 Vol. 1 Thursday 7 July 2016 Issue No. 18

MANAGER : NAWAB AHMAD
Tel. : (0091) 1872-224757
Mobile : +91-94170-20616
e-mail:managerbadrqnd@gmail.com
ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 300/-

है, तब उन्हें रोज़े ज़रूर अभ्यास कराना चाहिए। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की अनुमति और आदत को अगर देखा जाए तो बारह तेरह साल के क़रीब कुछ कुछ अभ्यास कराना चाहिए और हर साल कुछ रोज़े रखवाने चाहिए। यहां तक कि अठारह साल की उम्र हो जाए जो मेरे पास रोज़ा की यौवन की उम्र है। मुझे पहले साल केवल एक रोज़े की हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अनुमति दी थी। (ज बारह तेरह साल में रोज़े की अनुमति दिलवाई थी सिर्फ एक रोज़ा रखवाया था।) इस उम्र में तो केवल शौक होता है इस शौक के कारण से बच्चे अधिक रोज़ा रखना चाहते हैं लेकिन यह माता पिता का काम है कि उन्हें रोकें। फिर एक उम्र ऐसी होती है कि उसमें चाहिए कि बच्चों को साहस दिलाएं कि वह कुछ रोज़ा ज़रूर रखें।(बचपन में माँ बाप का काम है रोकें अधिक न रखने दें फिर जब जवानी की उम्र आ रही है तो साहस दिलाएं और उनसे रोज़े रखवाएँ) और साथ ही यह भी देखते रहें कि वे अधिक न रखें और देखने वालों को भी इस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए कि ये सारे रोज़े क्यों नहीं रखता क्योंकि अगर बच्चा इस उम्र में सारे रोज़े रखेगा तो भविष्य में नहीं रख सकेगा। इसी तरह कुछ बच्चे स्वाभाविक रूप से कमजोर होते हैं। मैंने देखा है कि कुछ लोग अपने बच्चों को मेरे पास मिलने के लिए लाते हैं और बताते हैं कि उसकी उम्र पंद्रह साल है हालांकि वह देखने में सात आठ साल के मालूम होते हैं।( प्राय ऐसा भी होता है मेरे पास भी ऐसे आते हैं।) और फरमाया कि मैं समझता हूं कि ऐसे बच्चे रोज़े के लिए शायद इक्कीस साल की उम्र में परिपक्व हों। इस की तुलना में एक मज़बूत बच्चा शायद पंद्रह साल की उम्र में ही अठारह साल के बराबर हो सकता है लेकिन अगर वह मेरे ही इन शब्दों को पकड़ कर बैठ जाए कि रोज़े की यौवन की उम्र अठारह साल है तो न वह मुझ पर अत्याचार करेगा न ख़ुदा तआला पर बल्कि अपनी जान पर आप ज़ुल्म करेगा। इसी तरह अगर कोई उम्र का बच्चा पूरे रोज़े न रखे और लोग उस पर तानें करें तो वह ताने करने वाले भी अपनी जान पर ज़ुल्म करेंगे।

(तफसीर कबीर भाग 2 पृष्ठ 385)

हज़रत नवाब मुबारका बेगम साहिबा जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बड़ी पुत्री थीं। कहती हैं यौवन से पहले कम उम्र में आप अलैहिस्सलाम रोज़ा रखवाना, पसंद नहीं करते थे। बस एक आधा रख लिया काफी है। हज़रत अम्मा जान ने मेरा पहला रोज़ा रखवाया तो बड़ी दावत इफ्तार दी अर्थात जो महिलाएं जमाअत की थीं सबको बुलाया। इस रमज़ान के बाद दूसरे या तीसरे रमज़ान में मैंने रोज़ा रख लिया और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को बताया कि आज मेरा रोज़ा है। आप कमरे में थे पास स्टूल पर दो पान लगे हुए थे। शायद हज़रत अम्मा जान ने बनाकर रख गई होंगी। आप ने एक पान उठाकर मुझे दिया कि यही पान खा लो। तुम कमज़ोर हो अभी रोज़ा नहीं रखना। रोज़ा तोड़ डालो। मैंने पान खा लिया मगर आप से कहा कि सालिहा (अर्थात मामी जान मरहूमा अर्थात छोटे मामू जान की पत्नी) ने भी रोज़ा रखा है। वह भी तब छोटी उम्र की थीं। उनका भी तुड़वा दें। फरमाया उसे भी बुलाओ। मैं बुला लाई। वह आईं तो उन्हें भी दूसरा पान उठा कर दिया और फरमाया लो यह खा लो। तुम्हारा रोज़ा नहीं है। फरमाती हैं कि मेरी आयु शायद दस साल की होगी।

(उद्धरित तहरीराते मुबारका उद्धरित फिक्हुल मसीह पृष्ठ 214 आध्याय रोज़ा और रमज़ान)

इसी तरह तरावीह के बारे में कुछ सवाल हैं। अकमल साहिब ऑफ गोलकी ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से लिखित पूछा कि रमज़ान शरीफ़ में रात उठने और नमाज़ पढ़ने की ताकीद है लेकिन आमतौर मेहनती मज़दूर, जमींदार लोग ऐसे कामों के करने में लापरवाही दिखाते हैं अगर रात के आरम्भ में उन्हें ग्यारह रकअत तरावीह बजाय रात के अंत के पढ़ा दी जाए तो क्या उचित होगा।? हज़रत अक़दस अलैहिस्सलाम ने उत्तर कहा कि कुछ गलत नहीं पढ़ लें।

(मल्फूज़ात भाग 9 पृष्ठ 65 ई प्रकाशन 1985 ई यू. के)

तरावीह से संबंधित अर्ज़ हुआ कि जब यह तहज्जुद है तो बीस रकअत पढ़ने के बारे में क्या इरशाद है क्योंकि तहज्जुद तो वितर के साथ ग्यारह या तेरह रकअत है। फरमाया कि आँ हज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की चिरस्थायी सुन्नत तो वही आठ रकअत हैं और आप तहज्जुद के समय ही पढ़ा करते थे और यही बेहतर है मगर पहली रात भी पढ़ लेना जायज़ है।(उचित तो यही है कि तहज्जुद के समय उठ कर आठ रकअत पढ़ी जाए लेकिन पहली रात पढ़ लो तो भी वैध है।) एक रिवायत में है कि आप रात के पहले भाग में उसे पढ़ा। बीस रकअतें बाद में पढ़ी गईं। मगर आँ हज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की सुन्नत वही थी जो पहले बयान हुई।

(मल्फूज़ात भाग 10 पृष्ठ 113 ई प्रकाशन 1985 ई यू. के)

यह चौबीस रकअतें या अधिक रकअतें वाली बातें हैं यह तो बाद की हैं। आँ हज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की सुन्नत आठ रकअत तहज्जुद है।

एक साहिब ने हज़रत अक़दस की सेवा में पत्र लिखा जिसका सार यह था कि सफर में नमाज़ कैसे पढ़नी चाहिए और तरावीह से संबंधित क्या हुक्म है।? फरमाया सफर में दो रकअतें सुन्नत हैं तरावीह भी सुन्नत है पढ़ा करें और कभी घर में एकांत में पढ़ लें। क्योंकि तरावीह वास्तव में तहज्जुद है कोई नई नमाज़ नहीं है। वितर जिस तरह पढ़ते हो नि:संदेह पढ़ो।

(मल्फूज़ात भाग 10 पृष्ठ 22 ई प्रकाशन 1985 ई यू. के)

तो यह कुछ बातें रमज़ान से संबंधित थीं जो मैंने वर्णन की हैं। अल्लाह तआला हमें तक्वा पर कायम रहते हुए अल्लाह तआला की इच्छा को प्राथमिकता देते हुए रमज़ान से लाभान्वित होने की शक्ति प्रदान करे।

☆ ☆ ☆

**पृष्ठ 2 का शेष**

हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह तआला बेनस्रहिल अज़ीज़ ने कहा कि कुछ अहमदी लड़के होते हैं बैअत करते हैं और शर्त यही है कि एक साल तक अगर अहमदियत पर कायम रहे। असल बात यह है कि सिर्फ शादी करना तो लक्ष्य नहीं है। असल लक्ष्य शादी हो और भविष्य में अच्छा पीढ़ी भी चले और नेक पीढ़ी चलाने के लिए अपेक्षित है कि लड़के और लड़की का धर्म एक हो अगर लड़कों को कई बार अनुमति दी जाती है तो उसे यह कहा जाता है कि तबलीग़ करके लड़की अहमदी कर लो। और फिर यह है कि लड़की जो है वह शादी के बाद अधिक लड़कों के या अपने ससुराल के influence में होती है तो बाहर से अगर कोई लड़की अहमदी लड़के से ब्याही है तो यह संभावना है और प्राय मैंने देखा है कि बैअत कर के अहमदियत में शामिल हो जाती हैं और अहमदी होती हैं। अभी भी मुझे कई जोड़े मिले हैं जिन्हें एक दो को अगर मैंने अनुमति भी दी थी तो वह लड़कियां बाद में अहमदी हो गईं। लेकिन लड़के बहुत कम होते हैं जो अहमदियत की ओर आऐं। बल्कि कई ऐसी घटनाएं हुईं कि लड़कियों ने ग़ैर अहमदी लड़कों से शादी की और अब मुझे पत्र लिख रही हैं। यहां जर्मनी में भी हैं। दो तीन पत्र तो इन दिनों में मेरे पास आए कि जब उन्होंने कहा कि हमने ग़लती की थी और उन लड़कों से तलाक ले ली क्योंकि वह उन्होंने हमें धोखा दिया था। इसलिए माता-पिता को जो इस्लाम ने कहा है थोड़ा बहुत उन से पूछ लेना चाहिए सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। लड़की को ख़ुद भी दुआ करनी चाहिए और फिर दुआ करके फैसला करना चाहिए। फिर पूरी तरह समीक्षा करनी चाहिए । सिर्फ भावनात्मक रूप से फैसला नहीं करना चाहिए। पूरे माहोल का जयज़ा कर के फिर अगर दिल की तसल्ली हो और लड़का अहमदी हो तो विवाह हो जाता है।

***एक बच्ची ने सवाल किया कि आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम्म) जब मेराज के समय आसमान में अल्लाह तआला से मिलने गए थे तो क्या आप (स.अ.व.) ने अल्लाह तआला से ऐसे ही बात की जैसे में आप से कर रही हूँ?**

तो उस पर हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह तआला बेनस्रहिल अज़ीज़ ने फरमाया कि यह मेराज जो था वह कोई शारीरिक मेराज तो नहीं था। आप स.अ.व. कोई शरीर ले के नहीं चले गए थे। वह एक विशेष स्थिति थी। कशफ या ख़वाब या जो भी स्थिति थी वहाँ आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम्म का जो स्थान था वह तो ऐसा था कि अल्लाह तआला किस स्थिति में, किस रूप में, कैसे बातें करता है, आमने सामने करता है बल्कि जब मेराज नहीं भी हुआ था तब भी तो अल्लाह आप से बातें करता था। आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम्म का स्थान ही बहुत ऊंचा है।

***एक बच्ची ने सवाल किया कि जो नासरात स्कूलों में पढ़ रही हैं वह स्कूल में शैतानी बातों से कैसे बच सकती हैं?**

इस पर हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह तआला बेनस्रहिल अज़ीज़ ने फरमया कि एक तो यह है कि अपने धार्मिक ज्ञान को बढ़ाओ। पांचों नमाज़ें नियमित पढ़ा करो। यह याद रखा करो कि ख़ुदा तआला है। यह याद रखा करो कि ख़ुदा तआला तुम्हारे हर काम को देख रहा हर काम जो तुम करते हो अल्लाह मियां उसे देख रहा फिर यह कि इस्तिग़फार पढ़ते रहा करो। शैतानी कामों को देखा तो माफी पढ़ो। आऊज़ बिल्लाह मिनश्शैता निर्रजीम पढ़ो। लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ो। इन दुआओं का अनुवाद भी याद करो। फर ध्यान से पढ़ो इस्तिग़फार ध्यान से पढ़ो सोच समझ के करो। तो इनशा अल्लाह बचते रहोगे।

**(अनुवादक शेख मुजाहिद अहमद शास्त्री)**

☆ ☆ ☆

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor:Shaikh Mujahid Ahmad